निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1942 (श0)

(सं0 पटना 318) पटना, बुधवार, 27 मई 2020

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मई 2020

सं० एल०जी०–01–07/2020/3107 लेज––भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल दिनांक 26 मई, 2020 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के संचिव।

(बिहार अध्यादेश संख्या–03, 2020)

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

चूँकि, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोविड 19 के प्रसार के मद्देनजर लोगों के जीवन को भारी नुकसान पहुंचा है, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में समय सीमा के विस्तार सहित कुछ प्रावधानों को शिथिल करना अनिवार्य हो गया है;

चूँकि, बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है;

और, चूँकि, बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने के लिए उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**–(1) यह अध्यादेश बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इस अध्यादेश के उपबंध दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रभावी हुये माने जायेंगे।

2. **मूल अधिनियम में नयी धारा 168क का अंतःस्थापन।**–मूल अधिनियम की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''168क. विशेष परिस्थितियों में समय–सीमा के विस्तार हेतु सरकार की शक्तियाँ।–

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, वैसे कार्यों, जिन्हें अप्रत्याशित घटना के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है या अनुपालन नहीं किया जा सकता है, की बावत इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट, या विहित या अधिसूचित समय–सीमा का विस्तार कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, इस अधिनियम के प्रवृत होने की तारीख के पश्चात किसी तारीख से, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''अप्रत्याशित घटना'' पद का अर्थ युद्ध, महामारी, बाढ़, सुखा, आग, चक्रवात, भूकम्प या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा या इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में प्रभाव डालने वाला अन्यथा कोई कारण होगा।''।

ह0/–फागू चौहान
बिहार राज्यपाल।

पटना।
दिनांकः– 26.05.2020

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

ह0/–फागू चौहान
बिहार राज्यपाल।

पटना।
दिनांकः– 26.05.2020

27 मई 2020

सं० एल०जी०–01–07/2020/3108 लेज––बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 मई, 2020 को प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर (संविधान) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–03, 2020) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के संचिव।

(Bihar Ordinance No. 3, 2020)

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

AN

ORDINANCE

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

WHEREAS, in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, causing immense loss to the lives of people, it has become

imperative to relax certain provisions, including extension of time limit, in the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017;

WHEREAS, The Legislature of the State of Bihar is not in session;

AND, WHEREAS, the Governor of Bihar is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (ACT 12, 2017), in the manner hereinafter appearing.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. **Short title and commencement.-**(1) This Ordinance may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020.
   (2) The provisions of this Ordinance shall deemed to have come into force with effect from 31st March, 2020.
2. **Insertion of new section 168A in Act 12 of 2017.-** After section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the following section shall be inserted, namely:-
   '**168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances—**
   (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.
   (2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.
   Explanation.— For the purposes of this section, the expression "*force majeure*" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.'.

Sd/- Phagu Chauhan
Governor of Bihar

Patna:
Dated: 26.05.2020

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 318–571+300–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in